[illegible]
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

रजि. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2003—भाद्र 4, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्र. 5348-457-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21 अगस्त 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २००३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २००३.

[दिनांक २१ अगस्त, २००३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २६ अगस्त, २००३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २००३ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ धारा ३ का संशोधन.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

(क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "३१ मई, १९९८" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "३१ मई, २००३" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे पट्टाधृति अधिकारों को किसी निवासगृह के सन्निर्माण या विस्तार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी सरकारी उपक्रम के पक्ष में बंधक रखा जा सकेगा.".

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक "३१ मई, १९९८" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "३१ मई, २००३" स्थापित किए जाएं.

धारा ५-क का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए,—

अवैध कब्जे का प्रभाव.

"५-क. यदि कोई भूमि किसी ऐसे अधिभोगी के कब्जे में नहीं है जिसे इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार दिये गये हैं, किन्तु जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, यदि ऐसी भूमि का निवास प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तब ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के सवा गुना के बराबर की रकम और यदि ऐसी भूमि का वाणिज्यिक या अन्य अनिवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तब ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो गुना के बराबर की रकम, ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाएगी जिसके वास्तविक कब्जे में वर्तमान में ऐसी भूमि है और ऐसी रकम के भुगतान पर वर्तमान अधिभोगी इस अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा.".

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2003

क्र. 5349-457-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन, अधिनियम, 2003 (क्रमांक 30 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2003

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRO KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2003.

[Received the assent of the Governor on the 21st August, 2003; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 26th August, 2003.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty Fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2003.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) in sub-section (1), for the words and figures "31st day of May, 1998" the words and figures "31st day of May, 2003" shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such lease hold rights may be mortgaged in favour of a nationalised bank or a Co-operative society or a Government undertaking, for securing loan for construction or expansion of a residential house.".

Amendment of Section 4.

3. In sub-section (2) of Section 4 of the Principal Act, for the words and figures "31st May, 1998", the words and figures "31st May, 2003 shall be substituted.

Substitution of Section 5-A.

4. For Section 5-A of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Effect of illegal Possession.

"5-A. If any land is not in possession of the occupier who has been given lease hold rights under this Act but is in possession of any other person, then an amount equal to one and a quarter times of the market value of the land, in case such land is used for dwelling purposes and two times of the market value of such land if it is used for commercial or for other non-dwelling purposes, shall be recovered from such person who is in actual possession of such land at present and upon payment of such amount the present occupier shall be entitled to get a lease hold rights over such land under this Act.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.